

नवा भारत

5

भारत और रूस कई क्षेत्रों में बढ़ाएंगे सहयोग

4

बुजुर्गों के प्रति सरकार व समाज की नीति क्या हो ?

9

एचपीसीएल ने 10 डिस्ट्रीब्यूटर को किया निलंबित

8

निकहत, प्रिया और प्रीति सेमीफाइनल में



एक नजर में

मानहानि मामले को राहुल ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

जबलपुर. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पुरा विवाद उस वक़्त का है, जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदक की प्रार्थना पर मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिये मुलतवी कर दी है। दरअसल पूरा मामला साल 2018 के झाबुआ में हुई चुनावी सभा से जुड़ा है, जहां राहुल गांधी ने एक भाषण के दौरान कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम लिया था।

गांदरबल मुठभेड़ की जांच के लिए आदेश

श्रीनगर. जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल जिले में हुई मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए. इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक कथित आतंकवादी को मार गिराया था. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महमूदा मुफ्ती सहित कई नेताओं ने इस मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे. सोशल मीडिया की एक पोस्ट में शुक्रवार को सिन्हा ने कहा- मैंने अरहमा, गांदरबल घटना की पूरी और निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है. जांच घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी.

10 करोड़ कोकीन के साथ नाइजीरियन गिरफ्तार

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा कोकीन के साथ एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है. जल कोकीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ बताई गई है. पुलिस के मुताबिक मेहरोली में छापेमारी कर 35 वर्षीय नाइजीरियन नागरिक जॉन चिबुइके को उसके घर से गिरफ्तार किया गया. वह साउथ और साउथ-ईस्ट दिल्ली में कोकीन की सलाई करता था. आरोपी के खिलाफ 2022 में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है.

75 सिलेंडर्स के साथ एक युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने बावना इलाके में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है. अनिल नाम के 50 वर्षीय इस शख्स के पास से 75 सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं. इनमें 27 सिलेंडर्स भरे हुए थे, जबकि, 48 सिलेंडर्स खाली थे. सिलेंडर्स में धरौली और कॉमर्शियल दोनों शामिल हैं. पुलिस को बावना इलाके में एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण की गुप्त सूचना मिली थी. इसी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया.

गुस्ताखी माफ

टुप्प की बयान की वजह से सोने बांदी के दाग में भारी गिरावट

दुनिया भर में भले ही किरकिरी हो रही है पर भारत की महिलाएं आप की खूब वाहवाही कर रही हैं सर !

हिंसा का मुख्य आरोपी अरेस्ट

प. बंगाल में सात न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे बनाया था बंधक

35 लोगों की हुई अब तक गिरफ्तारी

19 मामले हिंसा के हुए दर्ज

कोलकाता, 03 अप्रैल. पश्चिम बंगाल की मालदा हिंसा में बड़ा अपडेट सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट के सज़ान और पूरा मामला एनआईए को रेफर होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस हिंसा के 19 मामले दर्ज किए हैं.

उन्होंने बताया कि हिंसा भड़काने वाले मुख्य आरोपी मोफक्करल इस्लाम को अरेस्ट किया है. वह अभी बागडोगरा में हिरासत रखा गया है. एडीजी के. जयरामन ने बताया कि उसे यहां लाया जा रहा है. आगे एनआईए



इस मामले की जांच अपने हाथ में लेगी, उसे कालियाचक मामले में गिरफ्तार किया गया है. जयरामन के अनुसार वह एक वकील लगता है. हम जांच कर रहे हैं कि बचाव कार्य में देरी क्यों हुई. फिर हम एक रिपोर्ट सौंपेंगे.

गौरतलब हो कि 1 अप्रैल को मालदा के कालियाचक ब्लॉक में मतदाता सूची की शिकायतों के निपटारे के लिए गई सात न्यायिक अधिकारियों की टीम (जिसमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल

थीं) को भीड़ ने करीब 8-9 घंटों तक बंधक बनाए रखा था. इस घटना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 को ब्लॉक किया था, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने मालदा हिंसा को इसे एक सोची-समझी साजिश बताया था और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया. सीजेआई

बंगाल में चुनाव के बाद भी तैनात रहेंगी सीएपीएफ की 500 कंपनियां : ईसी

नई दिल्ली, 03 अप्रैल. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगमियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस बीच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शांतिपूर्वक बंगाल चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की है. चुनाव आयोग के अनुसार, बंगाल में मतगणना पूरी होने के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 500 कंपनियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगी. चुनाव के बाद भी सीएपीएफ की कंपनियां बंगाल में तैनात रहेंगी. यह तैनाती ईसीआई के अगले आदेश तक जारी रहेगी. बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु तथा बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा त्रिपुरा के आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था. इसके तहत असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल तथा तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को वोट डाल जाएंगे.

सूर्यकांत रात दो बजे तक इस घटना के बाद जागते रहे थे. चुनाव आयोग ने अदालत के निर्देश पर जांच एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को सौंप दी है. बंगाल चुनाव 2026 के मद्देनजर इस

घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, जहां बीजेपी इसे कानून-व्यवस्था की विफलता बता रही है, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की एक साजिश करार दिया है.

सीएम एन. रंगासामी और गृह मंत्री ए. नमसिवायम भी रहे मौजूद

पीएम ने पुडुचेरी में किया रोड शो

पुडुचेरी, 03 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पुडुचेरी में रोड शो शुरू किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'भारत माता की जय' और 'जय श्री राम' के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया.

मुख्यमंत्री एन. रंगासामी और गृह मंत्री ए. नमसिवायम के साथ प्रधानमंत्री ने अर्जुन सिग्नल पॉइंट के पास अपने रोड शो की शुरुआत की, जो दो किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर स्थित कामराजर स्टैच्यू/राजा थिएटर सिग्नल के पास समाप्त हुआ. सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक नृत्य

पीएम का तिरुवनंतपुरम दौरा आज

केरल में विधानसभा चुनावों के बीच सियासी सरगमी अपने चरम पर है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दौरा होने वाला है, जो बेहद अहम माना जा रहा है. 4 अप्रैल को होने वाला यह दौरा सिर्फ एक चुनावी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राज्य में बीजेपी और एनडीए की ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है.

प्रस्तुतियों ने पुडुचेरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो को रंगारंग और उत्साहपूर्ण बना दिया.

अमेरिका ने दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ

वाशिंगटन, 03 अप्रैल. संयुक्त राज्य अमेरिका बाहर से आने वाले दवाओं पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाएगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों और विदेशी आपूर्ति शृंखलाओं पर भारी निर्भरता को इसका कारण बताया है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दवाइयां और उनसे जुड़े घटक इतनी मांगा में और ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका में आयात किए जा रहे हैं कि वे संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह घोषणा पेटेंट दवाओं और सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) को निशाना बनाती है. ये नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं और सैन्य तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं. प्रशासन ने चेतावनी दी कि विदेशी उत्पादन



पर निर्भरता भू-राजनीतिक या आर्थिक संकट के दौरान जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता को बाधित कर सकती है. आदेश के तहत, अधिकांश आयातित पेटेंट दवाओं पर 100 प्रतिशत का मूल्य-आधारित (एड वैलोरम) शुल्क लगाया जाएगा. जो कंपनियां उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करने का वादा करेंगी, उन्हें 20 प्रतिशत का कम शुल्क देना होगा, जो चार साल बाद बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि यह

घोषणा में प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के लिए अलग-अलग शुल्क दरों की भी उल्लेख है. यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड से आयात पर लगभग 15 प्रतिशत का कम शुल्क लागेगा, जबकि अनाथ दवाएँ, परमाणु दवाएँ और जिन थरेपी जैसी कुछ विशेष श्रेणियाँ इस शुल्क से मुक्त रहेंगी. फिलहाल जेनैरिक दवाओं और बायोसिमिलर्स को इस शुल्क व्यवस्था से बाहर रखा गया है. घोषणा में कहा गया, जेनैरिक दवाएँ और उनसे जुड़े घटक इस समय शुल्क के अधीन नहीं होंगे.

नीति घरेलू दवा निर्माण को मजबूत करने और आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है.

पूर्वी चंपारण में कथित जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत

मोतिहारी, 03 अप्रैल (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कथित जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है और छह लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है. पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार तक कथित जहरीली शराब पीने से पुलवाघाट निवासी सुरेश प्रसाद के पुत्र चंदू (38) की मौत हुई थी, उसके बाद देर रात तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकर सूरैया परसौना मुसहरी टोला निवासी प्रमोद यादव (30) की मौत हो गई. तुरकौलिया थाना क्षेत्र के परसौना निवासी परीक्षण मांझी (46) और रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के हरदिगा निवासी होरा लाल महतो की भी मौत हो गई. सूत्रों ने बताया



छह लोगों ने गंवाई आंखों की रोशनी

कि जहरीली शराब से 12 से अधिक लोग बीमार हैं, इनमें से तीन की स्थिति गंभीर बनी हुई है. छह लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है. जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1 के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है.

विशाखापल्लनम, 03 अप्रैल. भारत की समुद्री ताकत को नई ऊँचाई देने वाला उन्नत स्टीथ्स फ़्रिगेट 'आईएनएस तारागिरी' शुक्रवार को भारतीय नौसेना में शामिल हो गया.

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कहा कि तारागिरी के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने से इसकी क्षमताओं में एक बड़ा इजाफा हुआ है. नौसेना की भूमिका पर जोर देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी नौसेना, चाहे वह फारस की खाड़ी हो या मलक्का स्ट्रेट, हिंद महासागर में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखती है. जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह निकासी ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता देना हो, हमारी नौसेना हमेशा

सेना की ताकत में बड़ा इजाफा : राजनाथ सिंह



सबसे आगे रहती है. हमारी नौसेना भारत के मूल्यों और कमिटमेंट का प्रतीक है.आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नौसेना की ताकत, मूल्यों और कमिटमेंट को और मजबूत करेगी.

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति समेत देश का 95 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और ऐसे में उभरते समुद्री खतरों के बीच वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों

की सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. इतिहास का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसैनिक शक्ति को मजबूत किए बिना कोई भी देश सही मायनों में शक्तिशाली नहीं बन सकता, इसलिए जब नरेंद्र मोदी 2047 तक 'विकसित भारत' की बात करते हैं, तो उसमें समुद्री शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है.

प्रावधानों में संशोधन जन विश्वास विधेयक पारित होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस' को दिया गया बढ़ावा

व्यापार सुगम बनाने 717 प्रावधानों का अपराध मुक्तिकरण

नई दिल्ली, 03 अप्रैल. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है, इस कानून लागू होने के बाद आम लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आएंगे. यह कानून देश में व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता को और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पीएम मोदी ने इस पर खुशी जताई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स

पर इस विधेयक के पास होने पर खुशी जताते हुए लिखा कि 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस' को बड़ा बढ़ावा. यह बहुत खुशी की बात है कि संसद ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक 2026 को पारित कर दिया है. यह विधेयक भरोसे पर आधारित व्यवस्था को मजबूत करता है, जो नागरिकों को सशक्त बनाती है.

उन्होंने आगे लिखा कि यह पुराने और अप्रासंगिक नियमों को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. साथ ही, यह

जन विश्वास विधेयक में अभूतपूर्व सुधार

वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक को अभूतपूर्व सुधार बताया, उन्होंने कहा कि इस पैमाने पर बदलाव का उदाहरण न तो भारत में पहले देखा गया है और न ही दुनिया में कहीं और. बता दें कि संसद ने गुरुवार को जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया था.

मामलों के जल्दी निपटारे में मदद करेगा, मुकदमों का बोझ कम करेगा और कई मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करेगा. इस विधेयक की खास बात यह

भी है कि इसे तैयार करते समय सभी पक्षों से सलाह-मशविरा किया गया. पीएम मोदी ने आगे लिखा कि मैं उन सभी लोगों को बधाई

देता हूँ, जिन्होंने इस विधेयक के निर्माण में अपने सुझाव दिए और संसद में इसका समर्थन किया.

784 प्रावधानों में संशोधन: विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इनमें से 717 प्रावधानों का अपराधमुक्तिकरण व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जबकि 67 प्रावधानों में संशोधन जीवन सुगमता को सुगम बनाने के लिए किया गया है.

अपराध-मुक्ति के प्रमुख प्रावधान

- **छोटे उल्लंघनों पर राहत:** मामूली या तकनीकी गलतियों के लिए अब जेल की सजा नहीं होगी. ऐसे मामलों को आपराधिक अपराध के बजाय प्रशासनिक उल्लंघन माना जाएगा.
- **सार्वजनिक स्थानों से जुड़े नियम:** मेट्रो में धूम्रपान, सड़क संकेतों को नुकसान पहुंचाना या सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा.
- **व्यापार और अनुपालन में सुधार:** इस और कॉस्मेटिक कानून के तहत कुछ मानकों के उल्लंघन पर पहले जेल जा का प्रावधान था, अब उसकी जगह एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जाएगा.
- **परिवहन नियमों में बदलाव:** बिना बीमा के वाहन चलाने जैसे मामलों में भी कड़ी स्थितियों में जेल के बजाय जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
- **श्रम कानूनों में नरमी:** एप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत पहले या दूसरे उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जगह केवल चेतावनी या सलाह दी जाएगी.